फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर(जोधपुर)

मालाराम पुत्र शेराराम बनाम उमेदाराम पुत्र शेराराम वगैराह

किस्म मुकदमा 212 राज. का. अधि. 1955 मुकदमा नम्बर 36/22 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
09.05.2022	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलंग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य एवं बेचान करने पर उतारू है जिससे रोका नही गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के हिस्से में प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 06.06.2022 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मौजा ग्राम बलदेवनगर पटवार हल्का बारनाउ तहसील सेखाला जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 437, 442 पर अप्रार्थीगण विशिष्ठ भू–भाग दर्शाकर बैचान, हरस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य नही करें। आगामी पेशी तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से प्रेषित करें। पत्रावली दिनांक 06.06.2022 को पेश हों। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बालेसर	
6/6/22	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/चुनाव कार्य/राजकीय दौरे पर है। पत्रावली वास्ते पेशकर दिनांक 29/6/22 को पेश हो। पूर्व आदेशानुसार पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Khemada
Date: 2023.03.09 16:14:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

10/1/23

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उप०। [illegible] में अन्तिम डिक्री पर्चा जारी किया जा चुका है। [illegible] [illegible] के अभाव में उक्त पत्रावली सारहीन होने से समाप्त की जाती है एवं मौजा कल्याणपुर के खसरा नम्बर 437, 442 पर इस न्यायालय एवं इस पत्रावली में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

min

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Khemada
Date: 2023.03.09 16:14:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner